निगरानी 2416-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

==

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक सन 2015

श्रीमती सुनीता साहू आयु लगभग 31 वर्ष पत्नी
श्री दस्सू साहू नि0 ग्राम खैराकलॉ तहसील बिजावर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ------ --- आवेदिका/निगरानी कर्ता

बनाम

1- श्रीमती रामकली पत्नी बल्दुआ साहू

2- धनीराम ढीमर आयु 70 वर्ष तनय दिल्लीपत ढीमर
दोनो नि0गण ग्रामखैराकलॉ तहसील बिजावर जिला
छतरपुर मध्य प्रदेश --- ---अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म.प्र.भू रा.सं.
निगरानी आदेश विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर
कलेक्टर महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.
के प्रकरण क्रमांक 30/स्व.निग./12-13 में पारित
आदेश दिनांक 08-05-2015 से व्यथित होकर

================================

महोदय,

सेवामें निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करती है :-

D- -: निगरानी के तथ्य :-

===================

1- यह कि निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकारहै कि वर्ष 1973 -74 में अनावेदक क्रमांक-2(दो) धनीराम ढीमर को भूमि खसरा नम्बर 293,294, 295,297, रकबा क्रमशः0.166हेक्टे.,0.199 हेक्टेयर,0.267 हेक्टे,0.265 हेक्टे, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1973-74 में दिनांक 14-10-74को भूमि आवंटन योजना के तहत उक्त भूमि का पट्टा दिया गया था, जो भूमि पूर्ण रूप से उबड खाबड पथरीली,गैर उपजाऊ, भूमि थी, उक्त भूमि का उसे पट्टा तो प्रदान कर दिया गया। लेकिन वह कृषि नही कर सका व फिर आगे चलकर उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक2 धनीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज हो गयी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2416-एक/2015 जिला छतरपुर

सुनीता विरूद्ध रामकली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/स्व.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 07/3/19 सदस्य	